

फॉर्म - ए

प्रबंध निदेशक/ पूर्णकालिक निदेशकों (एमडी/ डब्ल्यूटीडी) की नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के लिए आवेदन

(दिनांक 25 जून 2021 का परिपत्र डीओआर.जीओवी.आरईसी.25/12.10.000/2021-22 देखें)

यूसीबी का नाम: _____

पता: _____

दिनांक : _____

रिज़र्व बैंक के संबंधित कार्यालय का पता

महोदया/ महोदय,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ख(1)(ख) पढ़ें

हम एतद्वारा निम्नलिखित नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति* के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ख(1)(ख) के अनुसार रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के लिए आवेदन और इस संदर्भ में दस्तावेज़ प्रस्तुत करते हैं। इस संदर्भ में आपके द्वारा आवश्यक पाए जाने वाली अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने में हमें खुशी होगी।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(पदनाम)

*उस शब्द को हटाएं जो लागू नहीं है।

फार्म ए के साथ संलग्न विवरण

क्र.	विवरण	प्रकट किए सूचना
(1)	आवेदन के साथ नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति को प्राधिकृत करते हुए निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प (तारीख का भी उल्लेख करें) की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि संकल्प प्रादेशिक भाषा में है, तो एक प्रमाणित अंग्रेजी अनुवाद की प्रति को अधिमानतः दिया जा सकता है।	
(2)	नियुक्त/ पुनर्नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति का पूरा नाम	
(3)	उनका वर्तमान पदनाम:	
(4)	उनके/ उनकी	
	(क) आयु:	
	(ख) शैक्षणिक योग्यता:	
	(ग) बैंकिंग और/या अन्य व्यावसायिक अनुभव जिसमें संस्था/ओं के नाम, उसमें धारित पद/ दें और ऐसे अनुभव की अनुमानित अवधि के संदर्भ में विवरण	
(5)	नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति की शर्तें:	
	(क) क्या नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति किसी करार या समझौते के तहत है: (यदि हां, तो करार या समझौते के मसौदे की एक प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए, साथ में यदि कोई मौजूदा करार या समझौते हो तो उसकी एक प्रति के साथ प्रस्तुत करना है)	
	(ख) नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति की निर्धारित अवधि:	
	(ग) पारिश्रमिक का ब्यौरा:	

(6)	(क) यह सूचित करें कि क्या यूसीबी नियुक्त/ पुनर्नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (यूसीबी पर यथालागू) की धारा 10 (1) (बी) (i) और (ii) और 10(1) (सी) के प्रावधानों का अनुपालन करता है:	
	(ख) यह सूचित करें कि व्यक्ति जिसे प्रबंध निदेशक/ पूर्णकालिक निदेशक (एमडी/डब्ल्यूटीडी) के रूप में नियुक्त किया जाना है, क्या वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (यूसीबी के लिए यथालागू) की धारा 5 (एनई) के साथ पठित धारा 10 बी (4) (यूसीबी के लिए यथालागू) में उल्लिखित अयोग्यता के अधीन है:	
(7)	कोई भी अतिरिक्त तथ्य, जिसे यूसीबी आवेदन के समर्थन में या अन्यथा प्रस्तुत करना चाहते हैं	

कृते _____

(यूसीबी का नाम)

(हस्ताक्षर)

(पदनाम)